

364
म/निग/रीवा/2018/01580

472

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0)



- 1- मुस0 मुन्नु पटेल पत्नी स्व0 रामेश्वर पटेल
- 2- शेषमणि पटेल
- 3- सुरेश पटेल दोनो के पिता रामेश्वर पटेल
- 4- परमेश्वर पटेल तनय पारसनाथ पटेल
- 5- मु0 गुलाब वती बेबा रामसिया
- 6- अशोक पटेल
- 7- संदीप पटेल
- 8- रानी पटेल
- 9- सुनीता पटेल
चारो के पिता रामसिया पटेल
- 10- यज्ञसेन पटेल तनय पारसनाथ पटेल

निवासी ग्राम पाइर, तहसील व थाना मऊगंज, जिला
रीवा म0प्र0

-----अपीलाण्टगण/निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1- मंगलेश्वर प्रसाद तनय प्रभुनाथ पटेल
द्वारिका प्रसाद तनय परागू वानी
दोनो निवासी पाइर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

-----रेस्पाडेण्टगण/गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदन पत्र निगरानी अंतर्गत धारा
50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न है-

- 1- यह कि अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 266 रकवा
0.085 हे0 का अंश भाग 0.20हे0, 267 का रकवा
0.081हे0, 268 रकवा 0.057हे0, 269 रकवा
0.109हे0, का अंश रकवा 0.089हे0, 270/1 रकवा
0.017हे0 के उत्तरी भाग 1/2 भाग को अपीलाण्ट ने
10,000रुपये में दिनांक 16-04-82 को रजिस्टर्ड


यससेन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2018 / 1580

जिला-रीवा

श्रीमती मुन्नू पटेल / मंगलेश्वर पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 84/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा) सदस्य </p>	